

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

ज

प्रश्न संख्या 321*

23 , 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली को सुदृढ़ करना

*321. श्री

- क स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि
- () क्या यह सच है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख केन्द्रों की कार्य-
अधिकारिता सुधार लाए जाने से धनराशि का काफी बचत होगी;
- () यदि हाँ, तो भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए
कौन-कौन से कदम उठाए जाने का विचार है;
- () क्या भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख केन्द्रों की कार्य-
अधिकारिता सुधार करने के लिए कोई अध्ययन करवाए गए हैं;
- () यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो कौन-कौन से कदम उठाए जाएंगे ?

त

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (.)

- () () : कि

1. -तिहाई प्रार्थमिक स्वास्थ्य परिचया के लिए आवंटित करने का
2. फिलहाल

3. , 2017 के तहत परिकल्पित लक्ष्यों के अनुरूप ही, स्वास्थ्य
4. ग कर्तों तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य () - स
5. त कांक्षी एवं समग्र आयुष्मा कार्यक्रम को घोषणा को है। आयुष्मा
6. - स्वास्थ्य ग कर्तों (एबी-एचडब्ल्यूसी) में व्यापक प्रार्थमिक परिचया के
7. प्रावधान को परिकल्पित है, जिसमें सभी के लिए निरंतर परिचया के साथ
8. सामुदायिक स्तर पर निवारक स्वास्थ्य परिचया और स्वास्थ्य संवर्धन शामिल है। एबी-
9. एचडब्ल्यूसी में सेवाएं निःशुल्क हैं तथा सेवा क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए
10. ₹ 1,50,000 -स्वास्थ्य कर्तों और प्रार्थमिक स्वास्थ्य कर्तों का
11. फिलहाल, 2022 -एचडब्ल्यू के रूप में कार्याकल्प

12. -एचडब्ल्यू को टैप कर प्रदान किया है, फिलहाल
13. - को () के लिए 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का हर प्रकार का
14. , प्रशासनिक एवं पुनर्वासीय परिचया, , त्रि-
15. मानसिक स्वास्थ्य और आपात एवं आघात के लिए प्रथम स्तर को परिचया सहित गैर-
16. संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए परिचया और मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, जिसमें प्रतिरक्षण
17. और संचारी रोग भी शामिल हैं, के लिए पहले से प्रदान को जा रही सेवाओं को
18. स्वास्थ्य को ग

19. -कर्त स्तरीय - ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य अधिकारियों को भी
20. नियुक्ति को जानी है फिलहाल -एचडब्ल्यू को
21. फिलहाल, फिलहाल शक दवाएं एवं नैदानिक सेवाओं का प्रावधान, निरंतर परिचया को
22. बनाने के लिए सुदृढ़ आईटी सहायता तथा निष्पादन आधारित भुगतान प्रणालि
23. फिलहाल

